



प्रेस नोट - दिनांक 03.07.2025

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

25,000/- रुपये का ईना मया अ भयुक्त गरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस व एसओजी एवं सर्विलांस की सयुक्त टीम द्वारा 25,000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.06.2025 को थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/126(2)/115(2)/352/351(3)/308(5) BNS व 3(2)V SC/ST ACT पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रईस बेग पुत्र मिज्जन बेग उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। दिनांक 02.07.2025 को थाना सफीपुर पुलिस व एसओजी एवं सर्विलांस की सयुक्त टीम द्वारा ईनामिया अभियुक्त रईस बेग उपरोक्त को कमता चौराहा शहीद पथ जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

रईस बेग पुत्र मिज्जन बेग उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव ।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 386/15 धारा 147/323/344/364/506 भादवि थाना सफीपुर उन्नाव
2. मु0अ0सं0 158/18 धारा 323/504/506/429 भादवि व 3(1)(ध) SC/ST ACT थाना सफीपुर उन्नाव
3. मु0अ0सं0 22/21 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम थाना सफीपुर उन्नाव
4. मु0अ0सं0 275/21 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना कोतवाली सदर उन्नाव
5. मु0अ0सं0 12/2023 धारा 323/504/506 भादवि व 3(2)VA SC/ST ACT थाना सफीपुर उन्नाव
6. मु0अ0सं0 239/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम थाना सफीपुर उन्नाव
7. मु0अ0सं0 107/24 धारा 147/384/386/506 भादवि थाना सफीपुर उन्नाव
8. मु0अ0सं0 147/25 धारा 115(2)/190/191(2)/191(3)/308(5)/324(5) BNS थाना सफीपुर उन्नाव
9. मु0अ0सं0 274/25 धारा 115(2)/126(2)/190/191(2)/191(3)/308(5)/351(3)/352 BNS व 3(2)V SC/ST ACT थाना सफीपुर उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० अरविन्द सिंह रघुवंशी
- 2.का० गौरव राजपूत (20)
- 3.का० राहुल दिवाकर
- 4.का० अरुण कुमार सिंह
- 5.म०का० आध्या

SOG टीम-

- 1.उ०नि० श्री ज्ञान सिंह यादव
- 2.हे०का० आशीष मिश्रा
- 3.का० नितीश कुमार
- 4.का० विकास कुमार
- 5.का० रविकुमार
- 6.का० गौरव कुमार
- 7.का० शुभम कुमार

सर्विलांस टीम-

- 1.का० शुभम तोमर
- 2.का० प्रशांत बालियान
- 3.का० अरुण कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 03.07.2025

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव

वारण्टी अ भयुक्त गरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 03.07.2025 को उ0नि0 श्री उमाकान्त यादव मय हमराह पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत केस नं0 2157/17 अ0सं0 258/04 धारा 3/25 ए एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त रामू पुत्र बडक्के सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी रफीगढी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

रामू पुत्र बडक्के सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी रफीगढी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उमाकान्त यादव
2. हे0का0 द्वारिका प्रसाद दूबे
3. हे0का0 प्रसून कुमार वर्मा





प्रेस नोट - दिनांक 03.07.2025

थाना औरास, जनपद उन्नाव

जाम लगाकर मार्ग अवरुद्ध करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना औरास पुलिस द्वारा जाम लगाकर मार्ग अवरुद्ध करने वाले व सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.06.2025 को थाना औरास के मैनीभावा अंडर पास के ऊपर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम लगाने के संदर्भ में थाना औरास पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191(2)/191(3)/126(1)/132/285 बीएनएस व 7 CLA Act. बनाम 11 व्यक्ति नामजद व 50 से 60 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.07.2025 को थाना औरास पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्त रामकिशोर रावत पुत्र स्व0 सुन्दरलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम मोरवा मजरा बछौली थाना औरास जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

रामकिशोर रावत पुत्र स्व0 सुन्दरलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम मोरवा मजरा बछौली थाना औरास जनपद उन्नाव।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 विनोद कुमार गौतम
02. हे0कां0 त्रिवेणी प्रताप सिंह
03. कां0 अनूप कुमार

